2018/00104

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

प्र.क्र. 109/18 प्र.पत्र
दि. 8-5-18

विषयः– जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत्।

महोदयजी, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAct

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी रतनलाल बैरवा पिता गोकल बैरवा जाति बैरवा निवासी कनेछन खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूं। प्रार्थी की जाति ग्राम कनेछन खुर्द पटवार मण्डल कनेछनखुर्द खाता संख्या 242 में चमार दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है।

राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.05(8) राज.–प./83/राज–6/96/जयपुर दिनांक 01–11–1996 से जाति शुद्दि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी
रतनलाल
(............)

8.5.18

रिपोर्ट–पटवारी एवं भू.अ.नि.

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री रतन पिता गोकल चमार की ग्राम कनेछन खुर्द प0म0 कनेछनखुर्द के खाता संख्या 242 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

सुरेश पटवारी
प0म0 कनेछनखुर्द

भू0अ0नि0 कनेछनकलां
वृत्त 8-5-18

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार–2018"

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री रतन पिता गोकुल की ग्राम कनेछनखुर्द प0म0 के खाता संख्या 242 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की सिफारिश की जाती है।

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्र.क्र. 109/18 प्र.पत्र

आदेश कैम्प-कनेछनखुर्द दि. 8-5-18

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिशंषा के प्रार्थी श्री रतनलाल पिता गोकल की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम कनेछनखुर्द प0म0 कनेछनखुर्द के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 242 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश दिया जाता है। अतः तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां
फूलिया कलां, जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी, फूलिया कलां भीलवाड़ा